न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश – प्रथम– सह विशेष न्यायाधीश,

भभुआ, कैमूर

एस0सी0/एस0टी0 वाद संख्या– 158/2018

<u>आदेशपत्रक</u>

17.03.2020 अभियोजन की ओर से हाजिरी है। सभी छः अभियुक्तों मे से एक ही हाजरी एवं पॉच की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन है जिसे आज के लिए स्वीकार किया गया।

अभिलेख अभियुक्त अजय कुमार सिंह एवं अशीष कुमार सिंह की ओर से दिनांक 21.10.2019 को द0प्र0स0 की धारा– 227 के अन्तर्गत दिए गए आवेदन पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत आवेदन इस आश्य का है कि उपरोक्त दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही चलाने के लिए केस डायरी मे पर्याप्त आधार नहीं है। अतः उन्हें इस वाद से उन्मुक्त किया जाय। इस आवेदन का प्रतिउत्तर विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत कर उपरोक्त आवेदन को खारीज करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अनुसंधान के दौरान किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने इस बात का समर्थन नही किया है कि कथित घटना में उपरोक्त दोनो अभियुक्त भी शामिल थें। उनका यह भी तर्क है कि अनुसंधान के दौरान जिन साक्षियों ने अभियुक्तो का नाम लिया है उनके बयान से स्पष्ट है कि वे कथित घटना के समय घटना स्थल पर नहीं थे तथा उन्होंने परिवादिनी द्वारा कथित कथन के बारे मे अनुसंधान के दौरान बताया है। उनका यह भी तर्क है कि अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दोनो अभियुक्त कथित घटना के दिन घटना स्थल पर नहीं थें तथा नौकरी पेशा मे है तथा जहॉ काम करते हैं वहॉ मौजूद थे तथा निर्दोष हैं और पुलिस ने अनुसंधानोप्रांत उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किया था तथा केस डायरी का समुचित अवलोकन किए बिना उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध संज्ञान लिया गया है। अतः अभियुक्तों को इस वाद से उन्मुक्त किया जाय।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक इस बात का समर्थन करते हैं कि उपरोक्त दोनो अभियुक्तो को अनुसंधानोप्रांत अनुत्प्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया था ।

अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख पर उपलब्ध केस डायरी का अवलोकन करने पर मै यह पाता हूॅ कि अनुसंधान के दौरान दोनो अभियुक्तों का नाम साक्षी निर्मला देवी ने घटना कारित करने वालों मे लिया है परन्तु इस साक्षी के बयान से पता चलता है कि वह घटना के समय कथित घटना वाले गॉव मे नही थी तथा सूचिका उनकी पुत्री है तथा पुत्री द्वारा मोबाईल पर बताई गई बात को ही अनुसंधान के दौरान बोली है। अनुसंधान के दौरान साक्षी राहुल सिंह ने भी उक्त दोनो अभियुक्तों का नाम घटना कारित करने वालों में लिया है परन्तु इस साक्षी के बयान से पता चलता है कि घटना के दिन वह शराब के केस मे जेल मे था तथा कथित घटना के बारे मे परिवादिनी द्वारा बताई हुई बातों को ही अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता के समक्ष बताया है। अनुसंधानोप्रांत अभियुक्तों को अनुत्प्रेषित दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। केस डायरी का अवलोकन करने के बाद मै भी यह पाता हूॅ कि अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही चलाने तथा आरोप गठन के लिए साक्ष्य का अभाव है तथा केस डायरी के अवलोकन से उनके विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त अजय कुमार सिंह एवं अशीष कुमार सिंह द्वारा दिया गया उपरोक्त आवेदन अन्तर्गत धारा– 227 द0प्र0स0 स्वीकृत किया जाता है तथा उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को इस वाद से डिस्चार्ज (उन्मोचित) किया जाता है।

वाद दिनांक 17.4.2020 .वास्ते आरोप।

लेखापित

ह0/–

अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,

–सह– विशेष न्यायाधीश, कैमूर, भभुआ।

दि0–17.03.2020